न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 13/2019

1 पवन कुमार आयु 38 वर्ष पुत्र देवदत जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासी मकान नम्बर 1753 क एच.बी.सी. सेक्टर 29 तहसील व जिला फरीदाबाद (हरियाणा)।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 इन्द्रसिंह पुत्र भगवत सिंह।
2 किशोर सिंह पुत्र रेवन्त सिंह।
3 भवानीसिंह पुत्र रेवन्त सिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा गुढ़ गोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
5 श्रीमान नायब तहसीलदार कम उप पंजीयक गुढ़ा गोडजी जिला झुंझुनू।
6 श्रीमान तहसीलदार महोदय उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांकित 28.05.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी इन्द्रसिंह बनाम किशोर सिंह मुकदमा नम्बर 8/2016 दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—27.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 8/2016 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 599 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 600 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 601 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 602, खसरा नम्बर 815/8 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 820 रकबा 5.11 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम दुड़िया तहत तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अदालत मातहत के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एंव स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस वाद पत्र को अदालत मातहत ने दिनांक 28.05.2018 को प्राथमिक रूप से निर्णित कर डिक्री कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा, रेस्पोडेंट संख्या 2व 3 का 1/4,1/4 हिस्सा है। जिसमें से 0.99 हैक्टेयर भूमि अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.11.2015 को खरीद ली। इन्द्रसिंह के दावे के कारण स्थगन होने से नामान्तकरण नही हुआ। विचारण न्यायालय ने पत्रावली 30.07.2018 को नियत थी। विचारण न्यायालय ने इससे से पूर्व ही जवाब देही का अवसर दिये बिना ही दिनांक 28.05.2018 को निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सहायक कलेक्टर अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पारित कर दिया। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा, रेस्पोडेंट संख्या 2व 3 का 1/4,1/4 हिस्सा है। जिसमें से 0.99 हैक्टेयर भूमि अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.11.2015 को खरीद ली। इन्द्रसिंह के दावे के कारण स्थगन होने से नामान्तकरण नही हुआ। विचारण न्यायालय ने पत्रावली 30.07.2018 को नियत थी। विचारण न्यायालय ने इससे से पूर्व ही जवाब देही का अवसर दिये बिना ही दिनांक 28.05.2018 को निर्णय पारित कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में सदभावी क्रेता को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया अपनाकर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर